



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी माधुरी

निवासी वाई नं० 1 माधुरी

पत्रांक 3017

उंचाहाट जिला नि० प्र० माधुरी

दिनांक 24-10-2017

भूखण्ड/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 98/34 योजना पू० प्र० नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26-9-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/264

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-10-2017 से 23-10-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 271-79 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 200-00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

24/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

24/10/17

तददिनांक 24-10-2017

पृ० सं० 3017

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 पू० प्र० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय लखनऊ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

को उपरोक्त शर्त सं. 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

24/10/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शिव कुमारी

14/196 वृन्दावन योजना

दिनांक 18-10-17

पत्रांक 3004 लखनऊ नि० प्रा० 2017/192

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 14/196 योजना वृन्दावन नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/1/17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/192 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-10-17 से 12-10-22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटो हेतु 263.34 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 180.0 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वृ मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

Shy
12/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० 3004 / उपरोक्त / तददिनांक 18-10-17
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 03 वृन्दावन यो उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृन्दावन यो उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shy
12/10/17
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Shy
13/10/2017

धी
र
के
ने
की
ये
ण
प्र०
ता
ते



पत्र सं०-3621 / वा०नि०-5 /

स्वीकृत पत्र

दिनांक- 24/10/2017

सेवा में,

मदन गोपाल गुप्ता,
ग्राम व पोस्ट अलीनगर,
जिला-मऊ उ० प्र०-275102
मो० नं०-9454519916

नि० प्रा०-2017/241

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा सं०.10ए/229...योजना...वृन्दावन...नगर...लखनऊ. निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक...09-10-2017...के क्रम में नि०प्रा० रजिस्टर संख्या...2017/241...के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य /जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक...24/10/2017...से...23/10/2022...तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु...भूतल-2 तल+ममटी.375.57 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 200.00...वर्ग मी० भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-...31...उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन /भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो, तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्ग मी० से ऊपर रेन वाटर हारवैस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक)

प्र० सं०:-3621 - /उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अधिशासी अभियन्ता-निर्माण खण्ड-...31... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ...को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी... वृन्दावन योजना ... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद... लखनऊ ... को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी)



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शम चन्द्र एवं सुन्दारा देवी
570/822 गौपाल जूरी, आलमबाग
लखनऊ

पत्रांक 2807

नि0 प्र0 2017/238

दिनांक 22-9-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 90/283 योजना वृक्षावन नगर लखनऊ
 निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 31-8-2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 2017/238

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 22-9-2017 से 21-9-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 304.81 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 320.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 2807-

/उपरोक्त

तददिनांक 22-9-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3, वृक्षावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, वृक्षावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016



पत्र सं०-२६६५

/ वा०नि०-५ /

दिनांक-८.९.२०१७

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्रीमती रीनारानी एवं डा० धनन्जय कुमार,
एस-५ सुद अपार्टमेंट, चन्दर नगर, आलमबाग, लखनऊ ।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं०-६ए/पी०आर०-०८ वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक प्रीमियम भूखण्ड सं०-६ए/पी०आर०-०८ वृन्दावन योजना लखनऊ में निर्माण करने सम्बन्धी आवेदन जो नि०प्रा० रजिस्टर संख्या-३८ पर अंकित है। मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी आपके आवेदन पर शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्यों/जानकारी गलत पाये जाने अथवा अनुवर्ती तलों पर स्वीकृत से भिन्न उपयोग किये जाने पर प्रश्नगत मानचित्र के सापेक्ष शमन अथवा सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के अनुक्रम में एतद्वारा निम्नांकित शर्तों सहित मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है:-

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक ८.९.२०१७ से १.९.२०२२ तक।
- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
- यह स्वीकृति वर्तमान में भूतल प्रथम तल, द्वितीय तल ममटी, पर ५४६.६८५ वर्गमी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४०० वर्गमी० भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। जिसमें भूतल पर कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र १५३.१४ वर्गमी० में से ३९.३३ वर्गमी० क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
- प्रश्नगत प्रकरण पर केवल भूतल पर ही व्यवसायिक निर्माण कार्यवृत्त दिनांक-२६-८-२००८ व दिनांक-११-६-२०१५ के अनुसार सर्शत अनुमन्य होगा। अनुवर्ती तलों पर व्यवसायिक निर्माण व प्रयोग परिषद नियमानुसार निर्धारित शर्त सं०-६ के देयता का निर्धारण एवं सक्षत स्तर से पूर्व अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व १४ दिन पहले देनी होगी। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृति मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
- शासनादेश के अनुसार कम से कम ५० पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश के अनुसार कम से कम ३००.० वर्गमी० से ऊपर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१५ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर किया जा रहा है।
- प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात उपविधि २००८ परिशिष्ट-६ प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड कार्यालय स्तर से निर्गत किया जायेगा।

11. यदि प्रश्नगत भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पूर्व में स्वीकृत हो तो तब एतद्द्वारा वह मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(संजीव कृश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 8-9-2017

प्र० सं०:- 2664 /उक्त /

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-15 उ० प्र० आवास एवं विचकास परिशद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन योजना लखनऊ को शर्त सं०-4 व 5 के सम्बंध में।


वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

20/7

9e



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यदानन्द चतुर्वेदी
20/91 वृद्धावन योजना-2, भाग-1
लखनऊ, Mob-9415260392

पत्रांक 2655

नि0 प्रा0 2017/229

दिनांक 0.9.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 20/91 योजना वृद्धावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.8.2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 2017/229

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 0.9.17 से 7.9.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~मम्मी~~ हेतु 171.67.5 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 123.93 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-15 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्यधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
0/0 04/9/17 तददिनांक 0.9.17

पृ0 सं0 2655 / उपरोक्त

- प्रतिलिपि :-
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 वृद्धावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृद्धावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्यधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
0/0 04/9/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी प्रेमचन्द्र गुप्ता
129, हिन्दू नगर, कानपुर रोड,

पत्रांक 2657

लखनऊ / नि० प्रा० 2017/236

दिनांक 0.9.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त्र संख्या 19 B/86 योजना पृथ्वावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30/01/17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017-236
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 0.9.17) से 0.9.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~समूची~~ हेतु 67.04 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 407.4 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 2657

/उपरोक्त

०/विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 0.9.17

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3 पृथ्वावन योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय पृथ्वावन योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
0/विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई... 5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र


सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी खुरेन्दु पाल
66/214, वृद्धावन योजना, शापवरेली रोड,
लखनऊ, Mob-9711353178
दिनांक.....
पत्रांक नि० प्रा० 2017/230

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 66/214 योजना वृद्धावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/230


के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 08.09.17 से 07.09.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~ममटी~~ हेतु 191.44 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 162.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
दिनांक 04/9/17

पृ० सं० 2654 / उपरोक्त

- प्रतिलिपि :-
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 वृद्धावन उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृद्धावन उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
दिनांक 04/9/2017



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी माधुरी

निवासी वाई नं० 1 माधुरी

पत्रांक 3017 - अंचल जिला नि० प्रा० गमवाला दिनांक 24-10-2017

भूखण्ड/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 98/34 योजना पूरक नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26-9-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/264 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-10-2017 से 23-10-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 271-79 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 200-00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

24/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

24/10/17 तददिनांक 24-10-2017

पृ० सं० 3017 / उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 पूरक उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय लखनऊ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

24/10/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शिव कुमारी

14/196 वृन्दावन योजना

दिनांक 18-10-17

पत्रांक 3004 लखनऊ नि० प्रा० 2017/192

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 14/196 योजना वृन्दावन नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/1/17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/192

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-10-17 से 12-10-22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटो हेतु 263.34 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 180.0 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वृ मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

Shy
12/10/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 3004 / उपरोक्त / तददिनांक 18-10-17
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 03 वृन्दावन यो उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृन्दावन यो उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shy
12/10/17
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Shy
13/10/2017

धी
र
के
ने
की
ये
ण
प्र०
ता
ते



पत्र सं०-3621 / वा०नि०-5 /

स्वीकृत पत्र

दिनांक- 24/10/2017

सेवा में,

मदन गोपाल गुप्ता,
ग्राम व पोस्ट अलीनगर,
जिला-मऊ उ० प्र०-275102
मो० नं०-9454519916

नि० प्रा०-2017/241

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा सं०.10ए/229...योजना...वृन्दावन...नगर...लखनऊ. निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक...09-10-2017...के क्रम में नि०प्रा० रजिस्टर संख्या...2017/241...के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य /जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक...24/10/2017...से...23/10/2022...तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु...भूतल-2 तल+ममटी.375.57 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 200.00...वर्ग मी० भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-...31...उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन /भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो, तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्ग मी० से ऊपर रेन वाटर हारवैस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

(विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक)

प्र० सं०:-3621 - /उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अधिशासी अभियन्ता-निर्माण खण्ड-...31... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ...को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी... वृन्दावन योजना ... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद... लखनऊ ... को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी)



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शम चन्द्र एवं सुन्दारा देवी
570/822 गौपाल पुरी, आलमबाग
लखनऊ

पत्रांक 2807

नि0 प्र0 2017/238

दिनांक 22-9-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 90/283 योजना वृक्षावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 31-8-2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 2017/238

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 22-9-2017 से 21-9-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ तथा ममटी हेतु 304.81 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 320.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ0 सं0 2807-

/उपरोक्त

तददिनांक 22-9-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3, वृक्षावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, वृक्षावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016



पत्र सं०-२६६५

/ वा०नि०-५ /

दिनांक-८.९.२०१७

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्रीमती रीनारानी एवं डा० धनन्जय कुमार,
एस-५ सुद अपार्टमेंट, चन्दर नगर, आलमबाग, लखनऊ ।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं०-६ए/पी०आर०-०८ वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक प्रीमियम भूखण्ड सं०-६ए/पी०आर०-०८ वृन्दावन योजना लखनऊ में निर्माण करने सम्बन्धी आवेदन जो नि०प्रा० रजिस्टर संख्या-३८ पर अंकित है। मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी आपके आवेदन पर शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्यों/जानकारी गलत पाये जाने अथवा अनुवर्ती तलों पर स्वीकृत से भिन्न उपयोग किये जाने पर प्रश्नगत मानचित्र के सापेक्ष शमन अथवा सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के अनुक्रम में एतद्वारा निम्नांकित शर्तों सहित मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है:-

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक ८.९.२०१७ से १.९.२०२२ तक।
- निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
- यह स्वीकृति वर्तमान में भूतल प्रथम तल, द्वितीय तल ममटी, पर ५४६.६८५ वर्गमी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४०० वर्गमी० भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। जिसमें भूतल पर कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र १५३.१४ वर्गमी० में से ३९.३३ वर्गमी० क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
- प्रश्नगत प्रकरण पर केवल भूतल पर ही व्यवसायिक निर्माण कार्यवृत्त दिनांक-२६-८-२००८ व दिनांक-११-६-२०१५ के अनुसार सर्शत अनुमन्य होगा। अनुवर्ती तलों पर व्यवसायिक निर्माण व प्रयोग परिषद नियमानुसार निर्धारित शर्त सं०-६ के देयता का निर्धारण एवं सक्षत स्तर से पूर्व अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१५ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व १४ दिन पहले देनी होगी। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृति मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
- शासनादेश के अनुसार कम से कम ५० पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश के अनुसार कम से कम ३००.० वर्गमी० से ऊपर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१५ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर किया जा रहा है।
- प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात उपविधि २००८ परिशिष्ट-६ प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड कार्यालय स्तर से निर्गत किया जायेगा।

11. यदि प्रश्नगत भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पूर्व में स्वीकृत हो तो तब एतद्द्वारा वह मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(संजीव कृश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 8-9-2017

प्र० सं०:- 2664 / उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-15 उ० प्र० आवास एवं विचकास परिशद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन योजना लखनऊ को शर्त सं०-4 व 5 के सम्बंध में।


वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

20/7

9e



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सच्युदानन्द चतुर्वेदी
20/91 वृद्धावन योजना-2, भाग-1
लखनऊ, Mob-9415260392

पत्रांक 2655

नि0 प्रा0 2017/229

दिनांक 0.9.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 20/91 योजना वृद्धावन नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.8.2017 के क्रम में नि0 प्र0 रजिस्टर संख्या 2017/229

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 0.9.17 से 7.9.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~मम्मी~~ हेतु 171.67.5 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 123.93 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-15 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्यधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
0/0 04/9/17 तददिनांक 0.9.17

पृ0 सं0 2655 / उपरोक्त

- प्रतिलिपि :-
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 वृद्धावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृद्धावन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्यधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
0/0 04/9/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...-पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमच्चन्द्र गुप्ता
129, हिन्दू नगर, कानपुर रोड,

पत्रांक 2657

लखनऊ / नि० प्रा० 2017/236

दिनांक 09.09.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त्र संख्या 19 B/86 योजना पृथ्यावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30/04/17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017-236

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 09.09.17 से 09.09.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~समटी~~ हेतु 67.04 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 407.4 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 2657

/उपरोक्त

०/विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 09.09.17

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3 पृथ्यावन योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय पृथ्यावन योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
09.09.17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई... 5

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र


सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी खुरेन्द पाल
66/214, वृद्धावन योजना, शापवरेली रोड,
लखनऊ, Mob-9711353178
दिनांक.....
पत्रांक नि० प्रा० 2017/230

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 66/214 योजना वृद्धावन नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.8.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/230


के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 8.9.17 से 7.9.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ~~ममटी~~ हेतु 191.44 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 162.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
दिनांक 04/9/17

पृ० सं० 2654 / उपरोक्त

- प्रतिलिपि :-
- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 15 वृद्धावन उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वृद्धावन उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
दिनांक 04/9/2017